प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

1–आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, मुरादाबाद / लखनऊ / कानपुर नगर / प्रयागराज / मिर्जापुर / सहारनपुर / बरेली / वाराणसी / गोरखपुर / अयोध्या / मेरठ / अलीगढ़ / आगरा / झांसी / बांदा / बस्ती / आजमगढ़ / गोण्डा।

संख्या– **688** / बजट / 29(5) / अनु0–15 / 34 / 2025–26 दिनांक 16.05.2025

विषयः– **अनुदान सं0–15 के अधीन पं0 दीनदयाल उपाध्याय बृहत् पशु आरोग्य शिविरो / मेलों (मण्डल स्तर पर) का आयोजन (रा0यो0) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये स्वीकृत धनराशि का आवंटन ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–90 / 2025 / 786 / सैंतीस–2–2025 / 001–1(25) / 2017टीसी, दिनांक 14 मई, 2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–102–पशु तथा भैस विकास–24–पं0 दीनदयाल उपाध्याय बृहत् पशु आरोग्य शिविरो / मेलों (मण्डल स्तर पर) का आयोजन (रा0यो0) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रू0 264.75 लाख (रूपये दो करोड़ चौसठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत की गई है, जिसके कम में निदेशक, प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0–426 / प0–2 / 2025–26 दिनांक 15.05.2025 द्वारा उपलब्ध करायें गये आवंटन प्रस्ताव के अनुसार संलग्न Allotment Grid Report में उल्लिखित धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपको आवंटित की जाती है। उल्लिखित शर्तो का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। शर्तो से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

(2) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदो में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) आवंटित धनराशि का व्यय / उपयोग उसी मद / प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः आवंटित की जा रही है।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना / स्त्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(5) आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक / डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(6) विज्ञापन, प्रकाशन एंव प्रचार–प्रसार के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एंव सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) योजनान्तर्गत वस्तुओं / सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग / सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुडस)–2016 एंव विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन / हस्तान्तरण संबंधित जनपदों को नियमानुसार उनके द्वारा प्राप्त मांग के अनुरूप (जैसी स्थिति हो) सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा समय–समय पर प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

(10) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार / केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(11) आवंटित धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V पार्ट–I के पैरा–162 में विहित प्राविधानों कर कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) आवंटित की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–6/2025/बी–1–352/दस–2024–231/2025 दि0 27.03.2025 एंव समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(15) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–102–पशु तथा भैस विकास–24–पं0 दीनदयाल उपाध्याय बृहत् पशु आरोग्य शिविरो/मेलों (मण्डल स्तर पर) का आयोजन (रा0यो0) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

(16) आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन रजिस्टर के कम संख्या–34 (अनु0–15) पर अंकित कर ली गई है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(ब्रजेश कुमार)
वित्त नियन्त्रक।

संख्या– **688** /बजट/29(5)/अनु0–15/34/2025–26 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट–लखनऊ/जवाहर भवन/सहारनपुर/बरेली/प्रयागराज/वाराणसी/गोरखपुर/अयोध्या/मेरठ/अलीगढ़/आगरा/मुरादाबाद/कानपुर नगर/झांसी/बांदा/मिर्जापुर/बस्ती/आजमगढ़/गोण्डा।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–I)/लेखानुभाग,उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग–2, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

(5) योजनाधिकारी अपर निदेशक (गो0वि0), मु0 को निदेशक, प्रशासन एवं विकास के पत्र सं0–426/प0–2/2025–26 दिनांक 15.05.2025 द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से संबंधित आ0वि0 अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश देते हुए व्यय की सघन समीक्षा करने का कष्ट करें ।

(7) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय।

(8) कम्प्यूटर सुपरवाइजर, मु0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।

(9) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय।

(ब्रजेश कुमार)
वित्त नियन्त्रक।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-16/05/2025

प्रेषण संख्या:- 688
आवंटन आदेश संख्या:- 001-29-5-ANU-15-34-2025-26
अनुदान संख्या:- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

102 - पशु तथा भैंस विकास
24 - पं0 दीनदयाल उपध्याय वृहत पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर)का आयोजन (रा0 यो0)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	04-यात्रा व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	सहारनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1660 1660	36100 36100	38890 38890	94500 94500	0 0	419400 419400	20000 20000	668050 668050
2	मेरठ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38880 38880	94400 94400	0 0	419400 419400	20000 20000	667950 667950
3	अलीगढ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38890 38890	94500 94500	0 0	419500 419500	20000 20000	668160 668160
4	आगरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38890 38890	94400 94400	0 0	419500 419500	20000 20000	668060 668060
5	बरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38890 38890	94500 94500	0 0	419500 419500	20000 20000	668160 668160
	मुरादाबाद-2295-											

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	04-यात्रा व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
6	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38890 38890	94500 94500	0 0	419500 419500	20000 20000	668160 668160
7	कानपुर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38890 38890	94500 94500	0 0	419500 419500	20000 20000	668160 668160
8	प्रयागराज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38890 38890	94500 94500	0 0	419400 419400	20000 20000	668060 668060
9	झांसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38890 38890	94400 94400	0 0	419400 419400	20000 20000	667960 667960
10	बांदा -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1660 1660	36100 36100	38890 38890	94400 94400	0 0	419400 419400	20000 20000	667950 667950
11	वाराणसी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38890 38890	94400 94400	0 0	419400 419400	20000 20000	667960 667960
12	मिर्ज़ापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36200 36200	38890 38890	94400 94400	0 0	419500 419500	20000 20000	668160 668160
13	गोरखपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1660 1660	36100 36100	38890 38890	94500 94500	0 0	419400 419400	20000 20000	668050 668050
14	बस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1660 1660	36100 36100	38880 38880	94400 94400	0 0	419400 419400	20000 20000	667940 667940
15	आजमगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1660 1660	36100 36100	38890 38890	94400 94400	0 0	419500 419500	20000 20000	668050 668050

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	04-यात्रा व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
	पशुचिकित्साधिकारी											
16	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36200 36200	38890 38890	94500 94500	0 0	419500 419500	20000 20000	668260 668260
17	अयोध्या-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1670 1670	36100 36100	38890 38890	94400 94400	0 0	419400 419400	20000 20000	667960 667960
18	गोण्डा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	50000 50000	1660 1660	36100 36100	38890 38890	94400 94400	0 0	419400 419400	20000 20000	667950 667950
19	जवाहर भवन, लखनऊ-2291-आहरण वितरण अधिकारी-मुख्यालय , लखनऊ-01-आहरण वितरण अधिकारी- मुख्यालय	वर्तमान प्रगामी	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14450000 14450000	0 0	0 0	14450000 14450000
	योग	वर्तमान प्रगामी	135000 135000	900000 900000	30000 30000	650000 650000	700000 700000	1700000 1700000	14450000 14450000	7550000 7550000	360000 360000	26475000 26475000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौसठ लाख पचहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौसठ लाख पचहत्तर हजार

(ब्रजेश कुमार)
वित्त नियंत्रक

Digitally signed by BRAJESH KUMAR SHAKYA
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2025.05.16 04:14:06 +05:30